1119/ GMG
DT 3-7-2024

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–18008909715(टोल फ्री)
# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 3653 /12–1 दिनांक 25/06/2024 ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नरेन्द्रनगर।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगल्सी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No. FP/UK/ROAD/17417/2016)

सन्दर्भ:– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–2612 / 1 जी–5057 (टि0सै0स्वी0अनु0), दिनांक 16.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन कर संशोधित एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 18 / 2018 / एफ0सी0 / 1720 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा प्रकरण पर सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है परन्तु प्रस्ताव में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1257 / PO दिनांक 03–06–2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1657 / 1–41(IV) दिनांक 07–01–2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों में Stage-I Approval जारी की जा चुकी है किन्तु 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वर्तमान तक Stage-II Approval जारी नही हुई है, ऐसे प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से नई दरों पर एन0पी0वी0 धनराशि जमा करवाने हेतु लिखा गया है। प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति वर्ष 2018 में प्राप्त हुई है, प्रस्ताव को 05 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप संशोधित नई दरों से निर्धारित अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

| ईको क्लास | क्षेत्रफल (है0 में) | Stage-I तिथि | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण (रू0 में) | | | वर्तमान में निर्धारित नई दरानुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन (रू0 में) | | | जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | औसत घनत्व | दर प्रति है0 | धनराशि (रू0 में) | औसत घनत्व | दर प्रति है0 | धनराशि (रू0 में) | |
| V | 1.33 | 21-05-2016 | 0.40 | 8,45,000.00 | 11,23,850.00 | 0.40 | 12,92,850.00 | 17,19,490.00 | 5,95,640 |

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 मु0 5,95,640.00 कैम्पा कोष में जमा करवाते हुए, अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपडेट करते हुये मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

**संलग्नक:–यथोपरि।**

प्रतिलिपि :- सहा0 अभि0 मुनि की रेती को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

CAO

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:– / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–वन संरक्षक, भागरथी वृत्त, उत्तरखण्ड, मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

AE II / Rajesh Uniyal

3/7/24

Ex. Engineer
2-7-2024

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
# निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।

UTTARAKHAND

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D., NARENDRA NAGAR

E-mail.-eepwdnarendranagar@ymail.com

Phone & Fax 01378-227229


दिनांक 06/07/2024

पत्रांक 1209/12A

अधीक्षण अभियन्ता,
8वॉ वृत्त लो0नि0वि0,
नई टिहरी।

विषय – वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–54 लेखाशीर्षक–5054-04-337-03-04-54 (एन0पी0वी0) हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक– 2612/1जी–5057 (टि0सै0स्वी0अनु0), दिनांक 16.05.2023 एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक–3653/12–1 दिनांक 25.06.2024

महोदय,

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/18/2018/एफ0सी0/1720 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा प्राप्त हुई थी, प्रस्ताव पर वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति अप्राप्त है। प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रिानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा संशोधित नई दरों पर अतिरिक्त एन0पी0बी0 की धनराशि हेतु ₹5,95,640.00 की मांग की गयी है (पत्र संलग्न)।

अतः आपसे अनुरोध है कि, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में (अवशेष एन0पी0वी0) हेतु खण्ड को ₹5,95,640.00 मात्र का धनावंटन निर्गत करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(इं0 विजय कुमार मोघा),
अधिशासी अभियन्ता।
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक 1209/12A तददिनांक

अग्रिम प्रतिलिपि–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उपरोक्तानुसार सुसंगत मद में खण्ड को ₹5,95,640.00 मात्र का धनावंटन निर्गत करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता महोदय, लो0नि0वि0, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–वित्त नियंत्रक महोदय, कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता।
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर।

# कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
# 8वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, 8TH CIRCLE, PWD TEHRI, TEHRI GARHWAL

Phone & Fax 01376-232073

E-mail.- seteh.pwduk@gov.in, sepwdtehri@rediffmail.com


पत्रांक— 3385 / 7(5) बजट—8 / 2021—22 दिनांक 20/07/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।

**विषयः—** **वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—54 लेखाशीर्षक—5054—04—337—03—04—54 (एन0पी0वी0) हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक कम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर ने अपने पत्र सं0—1209 / 12ए0 दिनांक 06.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यवर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0—08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 18 / 2018 / एफ0सी0 / 1720 दिनांक 19.11.2018 के द्वारा प्रदान की गई थी, प्रस्ताव पर वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति अप्राप्त है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रिानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती के पत्रांक 3635 / 12—1 दिनांक 25.06.2024 द्वारा संशोधित दरों पर अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि हेतु रू0—5,95,640.00 की मांग की गयी है। जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि रू0— 5,95,640.00 के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर अनुरोध करना है कि वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—54 लेखाशीर्षक —5054—04—337—03—04—54 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौडियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 अवशेष एन0पी0वी0 धनराशि रू0—5,95,640.00 मात्र का आवंटन निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर को करने की कृपा करें। ताकि वॉछित धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जा सके।

संलग्न—यथोपरि।

लेखाधिकारी/बजट

(इं0 मुकेश परमार)
अधीक्षण अभियन्ता
8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौड़ी को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर को उनके उक्त वर्णित पत्र दिनांक 06.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/ 20.7.2024

अधीक्षण अभियन्ता
8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/18/2018/एफ0सी0/1720 दिनांक 19/11/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौड़ियाला से गंगल्लसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 2395/FP/UK/ROAD/17417/2016 दिनांक 17.01.2018,

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/17417/2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कौड़ियाला से गंगल्लसी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.66 है0 ग्राम–तिमली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

कमलप्रीत
19/11/18

शर्तों के परिपूर्ण एव बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, [illegible] के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.66 है0 ग्राम–तिमली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नौडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. ~~प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर~~ कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुंचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 83 से अधिक न हो।
10. ~~सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता~~ अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे को निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख मे किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थलों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0); पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक